भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 2808

(जिसका उत्तर सोमवार, 21 मार्च, 2022/30 फाल्गुन, 1943 (शक) को दिया गया)

सीएसआर नियमों का संशोधन

2808. श्री सुधीर गुप्ता:

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः

श्री मनोज तिवारीः

श्री बिद्युत बरन महतोः

श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणेः

श्री प्रतापराव जाधवः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नियमों में संशोधन करने की योजना बना रही है जिससे कि कंपनियों द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए एक कोष बनाया जाना अनिवार्य किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्य किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने कंपनियों को अपना अलग आपदा प्रबंधन कोष बनाने का निर्देश दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में प्रमुख कंपनियों की प्रतिक्रिया क्या है;

(घ) क्या सरकार की सीएसआर के हिस्से के रूप में कोई और गैर-वित्तीय दायित्व जैसे जन जागरूकता अभियान, आपदा प्रबंधन किट का वितरण आदि शुरू करने की मंशा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कंपनियों द्वारा खर्च की गई सीएसआर निधि को कंपनियों द्वारा प्रायः अप्रासंगिक कर दिया जाता है जिसके परिणामस्वरूप इसका उद्देश्य विफल हो जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) कंपनियों द्वारा सीएसआर निधियों का उचित ढंग से खर्च सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) और (ख): ऐसा कोई प्रावधान सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग): सरकार द्वारा ऐसा कोई निदेश जारी नहीं किया गया है।

(घ): कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 135, अधिनियम की अनुसूची VII और कंपनी

(सीएसआर नीति) नियम, 2014 के तहत कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए व्यापक ढांचा प्रदान किया गया है। इस अधिनियम की अनुसूची VII में उन कार्यकलापों को दर्शाया गया है जो सीएसआर के रूप में प्रारंभ किए जा सकते हैं। अधिनियम की अनुसूची VII की मद सं. (xii) में 'राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यकलापों सहित आपदा प्रबंधन' को पात्र सीएसआर कार्यकलाप की सूची में रखा गया है। मंत्रालय ने दिनांक 18 जून, 2014 के सामान्य परिपत्र सं. 21/2014 और दिनांक 25 अगस्त, 2021 के सामान्य परिपत्र संख्या 14/2021 के द्वारा यह स्पष्ट किया था कि अनुसूची VII में उल्लिखित मदें व्यापक हैं और इनकी उदारतापूर्वक व्याख्या की जा सकती है। तद्नुसार, कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 को पूरा करने के अध्यधीन, जन जागरूकता अभियान, आपदा प्रबंधन किट, आदि पात्र सीएसआर कार्यकलाप हैं।

(ड.) और (च): इस अधिनियम के तहत सीएसआर बोर्ड द्वारा संचालित प्रक्रिया है और कंपनी के बोर्ड को अपनी सीएसआर समिति की सिफारिशों के आधार पर कंपनी के सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, उन पर निर्णय लेने, उन्हें निष्पादित करने और उनकी निगरानी करने का अधिकार है। सीएसआर का ढांचा प्रकटीकरण पर आधारित है और सीएसआर अधिदेशित कंपनियों को सीएसआर कार्यकलापों का ब्यौरा वार्षिक रूप से एमसीए21 रजिस्ट्री में फाइल करना अपेक्षित है। कंपनियों द्वारा सीएसआर से संबंधित फाइल किया गया समस्त डाटा पब्लिक डोमेन www.csr.gov.in पर उपलब्ध है।

कारपोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क, मौजूदा विधिक प्रावधानों जैसे अनिवार्य प्रकटन, सीएसआर समिति तथा बोर्ड की जवाबदेही, कंपनी के लेखों की सांविधिक लेखापरीक्षा के प्रावधान आदि सहित, इस संबंध में पर्याप्त सुरक्षोपाय प्रदान करते हैं। जब कभी सीएसआर प्रावधानों के किसी प्रकार के उल्लंघन की सूचना प्राप्त होती है तब रिकॉर्डों की सम्यक छानबीन के पश्चात् तथा सम्यक कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए इस प्रकार की गैर-अनुपालनकर्ता कंपनियों के विरूद्ध अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई प्रारंभ की जाती है।

अधिनियम की धारा 135 को कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2019 और कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2020 के द्वारा संशोधित किया गया था। इन संशोधनों में अव्ययित सीएसआर राशि के अंतरण का प्रावधान किया गया है और 22 जनवरी, 2021 से सीएसआर प्रावधानों के गैर-अनुपालन को सिविल दोष बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 को भी संशोधित किया गया था जिसके द्वारा सीएसआर ईकोसिस्टम को अधिक उद्देश्यपरक, पारदर्शी बनाकर, बोर्ड पर अधिक जवाबदेही सौंपकर और कंपनियों द्वारा प्रकटीकरण को बढावा देने के माध्यम से सुदृढ़ बनाया गया है।

******